तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व अवकाश हुक्म की तामील जारी हुए
18.11.24	वकील वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 एवं नियम 3 C.P.C. तहत नामांकन पेश करने की अनुमति के साथ प्रस्तुत किये होने बाबत पेश किया वादी रुका गया। ग्राम पंचायत वादी / प्रतिवादी का प्रतिकथन स्वीकार किया जाकर वाद प्रस्तुत की अनुमति नामांकन पेश करने की अनुमति के साथ प्रदान कि जाती है। प्रकरण के अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पक्षकारान को अपना खर्चा वहन करना होगा। अधिक उत्तर है।	

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2025.01.03 12:54:08 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner